



FW 519554

(प्रारूप-ब)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली जिल्ला इन फार्मसी संस्थानों की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप-

हम सुविधा देवी एवं डी० संजय शुक्ला क्रमांक: 20222 एच सचिव नॉ डेगवन सेवा ट्रस्ट पत्र- ग्राम-4सी/11सी पीसी बनर्जी रोड, एलनगंज प्रयागराज शस्त्रपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं -

1. यह कि इनारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा एम्पटीड इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पत्र ग्राम व पोस्ट- मजनाई तहसील-मिल्लीपुर जनपद- अयोध्या नामक जिल्ला इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि इनारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नामक एम्पटीड इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पत्र ग्राम व पोस्ट- मजनाई तहसील-मिल्लीपुर जनपद- अयोध्या में गाटा संख्या 3835,3836 व 3837 रकबा 0.928 है।

यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और कोई विवाद नहीं है।

यह कि उपरोक्त पत्र पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपरोक्त भूमि के गाटा संख्या 3835,3836 व 3837 रकबा 0.928 है। भूमि पर उपरोक्त नाम की जिल्ला इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 15.10.2020 द्वारा पारित किया गया है।

श्री. राजेश कुमार
नोटरी
उत्तर प्रदेश
गो. के. उ. प्र.
श्री. राजेश कुमार
नोटरी
उत्तर प्रदेश
गो. के. उ. प्र.

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही अंतर्गत डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित भवनों के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त प्लॉ पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल आर्ब इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल आर्ब इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं इवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल आर्ब इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद, उद्योग लक्षणक से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईआईआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न तो भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कक्षा कम, प्रयोगशालाओं एवं कार्वेहालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल आर्ब इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक वार्षिक एवं अर्धवार्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा हाउ प्रॉविड के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का पालन/पालन करूंगा। यदि मेरे संस्था में किसी भी समय स्वतंत्र निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद को निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

सुचित्रा देवी
80 सचिव

Ranjay Shukla
80 अध्यक्ष

मी आज काठमांडू का प्रमुख
विधान
नियुक्त
व पत्रिका
कार्यवाही की कार्यवाही

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्व रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज कर्षी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।